हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 अप्रैल, 2007

संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/एन.टी.(एस.जी.-पी.एन.पी.)/6/सी.ए./2007/1615.—पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप—धारा (1) द्वारा प्रवत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट तथा इससे संलग्न योजना में दर्शाये गये अनुसार जिला पानीपत के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:

अनुसूची

जिला पानीपत के नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी.टी.पी.(पी.एन.)301/2006, दिनांक 04 मई, 2006 के साथ पढ़ा जाए।

- उत्तरः बिन्दु 'ए', जो कि गाँव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 116 का उत्तर—पश्चिम कोना है, से प्रारम्भ करते हुए पूर्व की ओर गांव राकसेड़ा (ह बस्त संख्या 91) की आयत संख्या 97 तथा 82 की पश्चिमी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात् पूर्व की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 97 तथा 82 की पश्चिमी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात् पूर्व की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 82, 83 तथा 84 की पूर्वी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात् दक्षिण की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 94 की उत्तरी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात् दक्षिण की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 94 की पूर्वी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात् दक्षिण की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 94 की पूर्वी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात् पूर्व की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 121 की उत्तरी सीमा के साथ—साथ, बिन्दु 'बी' तक, जो कि गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 121 का उत्तर—पूर्व कोना है।
- पूर्वः तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से दक्षिण की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 121, 128 तथा 160 की पूर्वी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात् पूर्व की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 164 की उत्तरी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात् दक्षिण की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 164 की पूर्वी सीमा के साथ—साथ, उस बिन्दु तक जहां यह गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की पूर्वी राजस्व सीमा से मिलती है, तत्पश्चात् दक्षिण की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की पूर्वी राजस्व सीमा से मिलती है।
- दक्षिणः तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से पश्चिम की ओर गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की दक्षिणी राजस्व सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'डी' अर्थात् गांव राकसेड़ा (हदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 171 के दक्षिण--पश्चिम कोने तक।
- पश्चिमः तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से उत्तर की ओर गांव राकसेड़ा (हंदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 171 तथा 154 की पश्चिमी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात् पूर्व की ओर गांव राकसेड़ा (हंदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 154 की उत्तरी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात् उत्तर की ओर गांव राकसेड़ा (हंदबस्त संख्या 91) की आयत संख्या 133 तथा 116 की पश्चिमी सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

शकुन्तला जाखू, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 20th April, 2007

No. CCP (NCR)/NT(SG-PNP)/6/CA/2007/1615.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the area in district Panipat as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purpose of the said Act, namely:-

Schedule

Schedule of boundary of the controlled area in district Panipat to be read with drawing no. DTP(PN)301/2006, dated the 4th May, 2006.

North: Starting from point "A", i.e. north-west corner of rectangle no. 116 of village Rakashera (Hadbast no. 91), towards east along northern boundary of rectangle no. 116 of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards north along western boundary of rectangle no. 97 and 82 of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards east along northern boundary of rectangle no. 82, 83 and 84 of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards south along eastern boundary of rectangle no. 84 of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards east along northern boundary of rectangle no. 94 of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards south along eastern boundary of rectangle no. 94 of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards east along northern boundary of rectangle no. 121 of village Rakashera (Hadbast no. 91) up to point "B" i.e. north-east corner of rectangle no. 121 of village Rakashera (Hadbast no. 91).

East: Thence moving from point "B" towards south along the eastern boundary of rectangle no. 121, 128 and 160 of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards east along the northern boundary of rectangle no. 164 of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards south along the eastern boundary of rectangle no. 164 of village Rakashera (Hadbast no. 91) up to the point where it meets with the eastern revenue boundary of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards south along eastern revenue boundary of village Rakashera (Hadbast no. 91) up to point "C" where it meets with the district boundary of district Sonepat.

South: Thence moving from point "C" towards west along southern revenue boundary of village Rakashera (Hadbast no. 91) up to the point "D" i.e. south-west corner of rectangle no. 171 of village Rakashera (Hadbast no. 91).

West: Thence moving from point "D" towards north along western boundary of rectangle no. 171 and 154 of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards east along northern boundary of rectangle no. 154 of village Rakashera (Hadbast no. 91), thence towards north along western boundary of rectangle no. 133 and 116 of village Rakashera (Hadbast no. 91) up to point "A" i.e. the point of start.

SHAKUNTLA JAKHU,

Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department.